Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भीलवाड़ा में कानिस्टेबल और उसका दलाल 15 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *26 नवम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की भीलवाड़ा द्वितीय इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये मेघसिंह जाटव कानिस्टेबल, पुलिस थाना बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा एवं उसके दलाल जयन्त कोली (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 15 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज परिवाद में कार्यवाही नहीं करने की एवज में मेघसिंह जाटव कानिस्टेबल, पुलिस थाना बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा द्वारा उसके दलाल जयन्त कोली (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भीलवाड़ा द्वितीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह चारण** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री शिवप्रकाश** एवं अपनी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये मेघसिंह जाटव पुत्र श्री चुरामन जाटव निवासी वल्लभगढ़, थाना भुसावर, जिला भरतपुर हाल कानिस्टेबल, पुलिस थाना बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा एवं उसके दलाल जयन्त कोली पुत्र श्री विजय कुमार निवासी कोली मौहल्ला, बिजौलिया, भीलवाड़ा (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से 15 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी, अजमेर के पुलिस अधीक्षक श्री समीर कुमार सिंह के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।